

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा10नि0)अनु0-7
संख्या: 11 /xxvii(7)34 /2011
देहरादून, दिनांक: 30 मई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय:—राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—


- (1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
- (2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
- (3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।
- (4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2- बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा:—

- (i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।
- (ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।
- (iii) परीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण-दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC, CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3-- उक्त व्यवस्था दिनांक 01 मई, 2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,

(राधा रवूड़ी)
सचिव, वित्त